


117



115 1Re

B
ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

21.01.16
9-10-2017
मृत्यु के संबंध में
सिंदेगा बिहार

विक्र्य-पत्र

1. लेखकारी :- अमोस डॉग वो जोन डॉग दोनों पिता सती
मुण्डा उर्फ मसीह प्रकाश डॉग, जारीत-मुण्डा, पेशा-
सेवा निवृत एवं कृषि, निवास ग्राम-सिमडेगा
बाजार टोली, धाना सिमडेगा, जिला-सिमडेगा
झज्जारखाण्ड।

आधार कार्ड नं० क्रमांक:- 3546 2652 5962 एवं
8280 2325 3210

शपथ-पत्र संख्या- 81, 82, 12, 018

शपथ-पत्र क्रमांक N. R. 12, 018... बिक्रेता
पेज नं० 2

लेखकारी द्वारा दिया गया
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया

प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिया गया

07-10-17

2. लेख्यर्थी :- श्रीमति जैतून सियोन टेटे परित सुरक्षेन टेटे ,
जारी - छाड़िया, पेशा नौकरी निवासी ग्राम-
गरजा पहारटोली, थाना सिमडेगा जिला-सिमडेगा
शारखाण्ड
आधार कार्ड नं- 7397 1685 8345
शपथ-पत्र संख्या : 83/2018
ठारिल्हंग नं- 0120000012000 रुपये

... क्रेतिका भारतीय

मुक्तिपत्र दस्तावेज
09-10-2017

दस्तावेज
9.10.17

3. लेख्यप्रकार :- बिल्डिंग-पत्र केवाला

4. मूल्य :- मोबाइलग- 39400/- रुपये , तीन लाख चौरानब्बे
हजार रुपये जिसका आधा एक लाख सन्तानब्बे
हजार रुपये अके 197000/- रुपये होता है ।

5. सम्पत्ति :- मौजा सिमडेगा, बाजारटोली, थाना/अंचल=सिमडेगा,
जिला अवर निबंधक कार्यालय वो जिला- सिमडेगा,
थाना नं- 116 एक सौ सोलह छाता नं- 63
प्रतिरसठ पलाट नं-24। दो सौ एकतारिलम्ब
रक्का १.१७ एकड़ में से ०.०८१ एकड़ छाड़ आ० चिसमिल
दंगा, जमीन टांड आवासीय, जिसपर कार्ड निर्माण
कार्य, या निर्माण या पेड़ पौधा उड़ा है ।
मालगुजारी ०.०५ ल० अलावे सेस सर्लाने ।

चौहानी :- उत्तर - टांड पलाट नं- 53

दक्षिण - दोन पलाट नं- 242

पूरब - टांड इसी पलाट का अंश नीज
क्रेता ।

पश्चिम- टांड इसी पलाट का अंश हाल छारीदगी ।

यह जमीन शहरी क्षेत्र के वार्ड नं- 12 में
अवस्थित है ।

पेज नं-3

पिंड - एफ सर्व- ३३०८१
परा - विमलेश्वरी/लक्ष्मीनाथ
परा - विमलेश्वरी/लक्ष्मीनाथ

हमलोग घोषित करते हैं कि यह बिक्र्य वाली जमीन छाप महल, क्षेत्रीहन्द, सैरात, भूदबन्दी, आम गैरमण्डआ, लीज, से संबंधित नहीं है।

कृपा चूंकि हमलोगों को छोती लायक जमीन छारीदने की इच्छा हूई। और जमीन बिक्री के सिवाय स्पष्ट प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं रहने के कारण लेख्यधारी से हमारी उपर्युक्त जमीन को छारीद लेने का आग्रह किया, जिसे वे छारीदना स्वीकार की।

अतः हमलोगों ने हमारी उपर्युक्त जमीन को लेख्यधारी से बिक्री करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन छोटानामूर काश तकारी अधीनियम की धारा 46 के अंतर्गत श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा की न्यायालय में दिया। जिसे राजस्व अनुमति वाद संख्या- 343/2016-17 दर्ज किया गया। एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई है। जिसका पत्रांक संख्या- 228 दिनांक 12.04.2017 है। तथा अनुमति आदेश पारित किया गया है, जिसकी सक प्रति हमें प्राप्त हुई है, जो मेमो नं 3828114 दिनांक 22.04.2017 के द्वारा निर्गत है।

कृपा अतः हमलोग अपने-अपने स्वेच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में ऊर वीर्णत सम्पत्ति का पूरा कीमत लेख्यधारी से नगद चुकता पाकर बेच दिया। तथा इस सम्पत्ति का पूरा अधिकार सर्व स्वामित्व लेख्यधारी को हस्तांतरित कर दिया। अब इस सम्पत्ति पर हमारा या हमारे किसी भी उत्तराधिकारी न कोई अधिकार रहा न आईन्दे होगा।

कृपा
उपर्युक्त
जमीन
को छारीद
करने की
अनुमति
प्राप्त
की गयी।
10.04.2017

४ग१ हमलोग यह घोषित करते हैं कि हमारी पुश्तैनी कासमी जमीन है। जिसके छाँतियानी रैयत हमारे पिता मसी मुण्डा उर्फ मसीह प्रकाश मुण्डा वगैरह है। तथा छाँतियान में लगान पाने वाले का नाम मैनेजर इनकंबर्डइस्टेट मीन जानीब टिकेत श्री निवास हुँडम सिंह देव दर्ज है। यह सम्पत्ति हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तथा आपसी बंटवारा में यह सम्पत्ति हमारे हिस्से एवं कब्जे में आई है। दानिसल महतो हमारे बड़े दादा है उन्होंके नाम मालगुजारी की रझीद निर्गत होता है। जो पंजी २२ के भोल्यूम नं०- I पेज नं० ४४ में उनका नाम इन्दराज है। एवं जिसपर हमारा दछाल-कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। एवं उसपर कोई ऋण या भार नहीं है।



४घ१ लेख्यधारी को उपर्युक्त जमीन पर छाँतियाल-कब्जा दे दिया है। अब लेख्यधारी जैसा चाहे अपने उपयोग में लावे और दाखिल-छाँतियाल अपने नाम करावे मालगुजारी सरकार को दिया करें।

इसीलिए यह बिक्र्य-पत्र दस्तावेज लिछा दिया एक समय पर काम आवे और प्रमाण रहे।

-३०८-
-३०९-
-३१०-
-३११-
-३१२-
-३१३-
-३१४-
-३१५-
-३१६-
-३१७-

लेखकारी :- हमलोग यह घोषित करता हूँ कि यह सम्पत्ति मू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है। तथा इससे संबंधित कोई मामला मेरे बिल्ड किसी भी न्यायालय में लंगिंबत नहीं है।

① अमोख डांग
2 जून डांग
9-10-17



9-10-17
अमोख डांग —
जून 2017
लेखकारी
अधिकारी
० =

उमांगत रिक्षा जाता है कि लेखकारी जी
अमोख डांग एवं जून डांग जे उपने उपने
बाएं हाथ के फोंचों अंगुलियों का निशान
कोई समाझ नहीं। अमोख कुमार
अधिकारी 9-10-17
पृष्ठ नं 6

लेख्यधारी :- मैं यह घोषित करती हूँ कि इस दस्तावेज के द्वारा प्राप्त झूमि के बाद भी मेरे हिस्से भू-हृदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है ।

जैदून सिमान टेट

९.१०.१७



मुमारीन रिकम जाना है कि लेख्यधारी
भी मती भेटुन सिमान टेट परित्यक्त
टेटे ने अपने लाएं छाप के पांचों अंगुलियों
वा निशान भरे समझ लिया । उनपर कुमार उमीदवाला
इस दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया है ।

इथा इसके पक्षकारों को पढ़कर सुना वा समझा दिया गया है ।
जिसे वे भी पढ़कर स्वीकार किये तो कि सही है ।

प्रारूपकर्ता; उन्जम कुमार

(उमीदवाला)

अधिवक्ता, सिमडेगा । ०९/१०/१७

इस दस्तावेज में कुल ६ पन्नों पर मेरे द्वारा कुल ६१५ शब्द
टीकत किया गया है जो छाण्डण रीहत है एवं बिक्री वाली
जमीन का नवाजा संलग्न है जो इस दस्तावेज का अंश है ।

टेक : - देवनिस बाड़ा
२.८.२०१६ द्वारा

॥ देवनिस बाड़ा ॥
सिमडेगा कोर्ट, सिमडेगा